Dainik Bhaskar (19.02.2016)

यौन उत्पीड़न महिला के समानता के अधिकार का उल्लंघन

फरीदाबाद| यौन उत्पीड़न के विरुद्ध महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से वाईएमसीए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के महिला प्रकोष्ठ ने कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध तथा निवारण अधिनियम-2013 विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष ओपी शर्मा प्रमुख वक्ता थे। कार्यशाला को नेहरू कालेज की पूर्व प्रोफेसर डा. आलोक दीप ने भी संबोधित किया। डा. दीप ने यौन उत्पीड़न के आशय तथा महिला यौन उत्पीड़न प्रकोष्ठ के उत्तरदायित्व तथा कार्यों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीण अचल तथा एनजीओ के साथ अपने कार्य अनुभव साझा करते हुए इस दिशा में कार्य करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया।

शर्मा ने कहा कि यौन उत्पीड़न महिलाओं के समानता एवं गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन है जो संवैधानिक रूप से महिलाओं को प्रदान किया गया है। कार्यशाला के दौरान आंतरिक शिकायत समिति तथा जिला शिकायत समिति की संरचना एवं कार्यों पर भी चर्चा की। इसमें विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष पूनम सिंघल ने वक्ताओं का धन्यवाद कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। कुलपति प्रो. दिनेश कुमार ने महिला प्रकोष्ठ द्वारा यौन उत्पीड़न जैसे संवेदनशील विषय पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित करने के लिए महिला प्रकोष्ठ की सराहना की।

Hindustan Hindi (19.02.2016)

यौन उत्पीड़न गरिमा का उल्लंघन : शर्मा

फरीदाबाद | कार्यालय संवाददाता

कार्यशाला

- महिला यौन उत्पीड़न: रोकथाम, अधिनियम 2013 विषय पर चर्चा
- यौन उत्पीड़न के मामले पर कड़ी सजा का प्रावधान

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में गुरुवार को महिला प्रकोष्ठ की ओर से महिला सशक्तिकरण पर कार्यशाला हुई। पूर्व छात्र संघ मॉब के सहयोग से हुई इस कार्यशाला में कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़नः रोकथाम, निषेध तथा निवारण अधिनियम 2013 विषय पर चर्चा की गई। मौके पर मुख्य वक्ता के तौर पर पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के पूर्व उपाध्यक्ष ओपी शर्मा पहुंचे।

उन्होंने विषय पर विचार रखते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न महिलाओं की समानता एवं गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन है। महिलाओं को सुरक्षित माहौल में कामकाज या व्यवसाय करने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि यौन उत्पीड़न के मामले पर कड़ी सजा का प्रावधान है। नेहरू कॉलेज की पूर्व प्रोफेसर डॉ. आलोक दीप ने भी युवाओं को संबोधित किया। कुलपति प्रो. दिनेश कुमार ने यौन उत्पीड़न जैसे संवेदनशील विषय पर इस कार्यक्रम के लिए महिला प्रकोष्ठ की सराहना की।